उत्तर प्रदेश शासन

नागरिक उड्डयन अनुभाग

संख्या: 93/2017/2032/छप्पन-2017-17/2014

लखनऊ, दिनांक: 28 नबम्बर, 2017

<u>कार्यालय-ज्ञाप</u>

नागरिक उड्डयन विभाग के अन्तर्गत कार्यरत पायलटों (फिक्स्ड विंग एवं रोटर विंग) के वेतन/ भत्तों एवं पारिश्रमिक का बाज़ार के आधार पर पुनरीक्षण, संविदा पायलटों की सेवा शर्तों तथा अन्य सुविधाओं का निर्धारण एवं अन्य कोई बिंदु, जो समिति उपयुक्त समझे पर विचार करने हेतु श्री राज्यपाल निम्नलिखित अधिकारियों की एक समिति गठित किए जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1.	अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।	अध्यक्ष
2.	अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव, नागरिक उड्डयन विभाग, उत्तर शासन द्वारा नामित अधिकारी के रूप में सचिव, मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।	सदस्य
3.	अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव, कार्मिक विभाग द्वारा नामित अधिकारी।	सदस्य
4.	निदेशक, नागरिक उड्डयन उत्तर प्रदेश, लखनऊ।	सदस्य एवं संयोजक
5.	वित्त नियन्त्रक, नागरिक उड्डयन उत्तर प्रदेश, लखनऊ।	सदस्य

2- उक्त गठित समिति प्रश्नगत प्रकरणों पर विचार कर एक माह में अपना मंतव्य व संस्तुतियां प्रस्तुत करेगी।

एस0 पी0 गोयल
प्रमुख सचिव ।

<u>पृष्ठांकन संख्या- 93/2017/2032(1)/छप्पन-2017 तद्दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव, नागरिक उड्डयन विभाग के निजी सचिव को प्रमुख सचिव के सूचनार्थ।
3. अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव, कार्मिक विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त समिति में प्रतिनिधित्व किए जाने हेतु किसी अधिकारी को कृपया नामित करने का कष्ट करें।
4. सचिव, मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
5. विशेष सचिव, नागरिक उड्डयन विभाग के निजी सचिव को विशेष सचिव के सूचनार्थ।
6. निदेशक, नागरिक उड्डयन उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
7. वित्त नियन्त्रक, नागरिक उड्डयन उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सूर्य पाल गंगवार)
विशेष सचिव ।

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया हैकता नही है ।क्षर की आवश्यइस पर हस्ता :अत ,

2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।